

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)
(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र0 883 / 13

संस्थित दि: 07 / 10 / 13

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,

जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

हल्कूराम पिता दुमारसिंग मरकाम, उम्र 41 साल,

निवासी झांगुल थाना खटिया, जिला मण्डला (म.प्र.)

..... आरोपी

—:: निर्णय ::—

(दिनांक—16 / 03 / 2015 को घोषित)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 325 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 24.08.2013 को सुबह 09:00 बजे ग्राम नारना थाना बैहर के अन्तर्गत फरियादिया सुलोचनाबाई जो एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से हाथ-पकड़कर जंगल तरफ चलने के लिए कहकर आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं फरियादिया सुलोचनाबाई को लकड़ी व हाथ मुक्के से मारकर व गिराकर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया सुलोचनाबाई ने आरक्षी केन्द्र बैहर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह दिनांक 24.08.2013 को सुबह के 09:00 बजे उसकी पड़ौस की बैसाखिनबाई के घर सब्जी लेने जा रही थी कि सामने सुनसान गली में ग्राम झांगुल जिला मण्डला का हल्कू उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर बुरी नियत से छेड़छाड़ कर खींचतान करने लगा तथा उसे जंगल तरफ चलने के लिए बोला उसने जाने से मना किया तो हल्कूराम ने पास में रखे डण्डे से एवं हाथ मुक्के से उसके साथ मारपीट की जिससे उसके सिर में चोट आई और खून निकलने लगा।

फरियादिया की रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 120/13 अन्तर्गत धारा 354, 323 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 325, 354 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 325 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी एवं फरियादिया सुलोचनाबाई के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के आरोप में दोषमुक्त किया गया तथा आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के आरोप में विचारण किया जा रहा है।

(05) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है फरियादिया रंजिशवश पुलिस से मिलकर उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कराकर उसे झूठा फंसाया है।

(06) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 24.08.2013 को सुबह 09:00 बजे ग्राम नारना थाना बैहर के अन्तर्गत फरियादिया सुलोचनाबाई जो एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से हाथ-पकड़कर जंगल तरफ चलने के लिए कहकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(07) अभियोजन साक्षी रूपराम झारिया (अ.सा. 4) का कहना है कि उसे दिनांक 25.07.2013 को थाना बैहर में अपराध क्रमांक 21/13 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने घटनास्थल पर जाकर बैसाखिनबाई के बताये अनुसार घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। उसने फरियादिया सुलोचनाबाई एवं

गवाह बैसाखिनबाई, लक्ष्मण, गोविंदसिंह, लक्ष्मणदास के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 07.10.2013 को आरोपी हल्कूराम से गवाहों के समक्ष एक जामुन की लडत्रकी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था।

(08) अभियोजन साक्षी सुलोचनाबाई (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना दिनांक 24.08.2013 को सुबह 09:00 बजे ग्राम नारना की है। वह बैसाखिनबाई के घर सब्जी लेने जा रही थी जैसे ही वह रोड के पास पहुंची जहां पर सुनसान था वहां पर आरोपी आया और उसका हाथ पकड़कर जंगल तरफ चलने के लिये बोलने लगा। आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर हाथ मुक्कों से मारपीट की जिससे उसके सिर पर चोट लगी और खून निकलने लगा। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिए थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने पुलिस को आरोपी द्वारा बुरी नियत से हाथ पकड़कर जंगल तरफ चलने वाली बात एवं डण्डे से मारपीट करने वाली बात बताई थी।

(09) अभियोजन साक्षी बैसाखिनबाई (अ.सा. 3) एवं गोविन्द (अ.सा. 3) का कहना है कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उनके कोई बयान नहीं लिये थे और न ही घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने दिनांक 24.08.2013 को सुबह 09:00 बजे ग्राम नारना थाना बैहर के अन्तर्गत फरियादिया सुलोचनाबाई जो एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से हाथ-पकड़कर जंगल तरफ चलने के लिए कहकर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

(10) अभियोजन साक्षी प्रवीण चौहान (अ.सा. 5) का कहना है कि पुलिस ने उसक समक्ष आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष हल्कूराम से एक जामुन की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया

था एवं हल्कूराम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था।

(11) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है फरियादिया सुलोचनाबाई ने रंजिश वश पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कराकर उसे झूठा फंसाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता के कथनों तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(13) अभियोजन साक्षी रूपराम झारिया (अ.सा. 4) का कहना है कि उसे दिनांक 25.07.2013 को थाना बैहर में अपराध क्रमांक 21/13 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने घटनास्थल पर जाकर बैसाखिनबाई के बताये अनुसार घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। उसने फरियादिया सुलोचनाबाई एवं गवाह बैसाखिनबाई, लक्ष्मण, गोविंदसिंह, लक्ष्मणदास के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 07.10.2013 को आरोपी हल्कूराम से गवाहों के समक्ष एक जामुन की लडत्रकी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था।

(14) अभियोजन साक्षी सुलोचनाबाई (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना दिनांक 24.08.2013 को सुबह 09:00 बजे ग्राम नारना की है। वह बैसाखिनबाई के घर सब्जी लेने जा रही थी जैसे ही वह रोड के पास पहुँची जहाँ पर सुनसान था वहाँ पर आरोपी आया और उसका हाथ पकड़कर जंगल तरफ चलने के लिये बोलने लगा। आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर हाथ मुक्कों से मारपीट की जिससे उसके सिर पर चोट लगी और खून निकलने लगा। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिए थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने पुलिस को आरोपी द्वारा बुरी नियत से हाथ पकड़कर जंगल

तरफ चलने वाली बात एवं डण्डे से मारपीट करने वाली बात बताई थी।

(15) अभियोजन साक्षी बैसाखिनबाई (अ.सा. 3) एवं गोविन्द (अ.सा. 3) का कहना है कि उन्हें घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उनके कोई बयान नहीं लिये थे और न ही घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 बनाया था। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ने दिनांक 24.08.2013 को सुबह 09:00 बजे ग्राम नारना थाना बैहर के अन्तर्गत फरियादिया सुलोचनाबाई जो एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से हाथ-पकड़कर जंगल तरफ चलने के लिए कहकर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

(16) अभियोजन साक्षी प्रवीण चौहान (अ.सा. 5) का कहना है कि पुलिस ने उसका समक्ष आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी और न ही आरोपी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष हल्कूराम से एक जामुन की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था एवं हल्कूराम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था।

(17) प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता रुपराम झारिया (अ.सा. 4) के कथनों तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी सुलोचनाबाई (अ.सा. 1), बैसाखिनबाई (अ.सा. 2), गोविन्द (अ.सा. 3) एवं प्रवीण चौहान (अ.सा. 5) के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी ने दिनांक 24.08.2013 को सुबह 09:00 बजे ग्राम नारना थाना बैहर के अन्तर्गत फरियादिया सुलोचनाबाई जो एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से हाथ-पकड़कर जंगल तरफ चलने के लिए कहकर आपराधिक बल का प्रयोग किया। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया।

(18) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना

मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 24.08.2013 को सुबह 09:00 बजे ग्राम नारना थाना बैहर के अन्तर्गत फरियादिया सुलोचनाबाई जो एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से हाथ-पकड़कर जंगल तरफ चलने के लिए कहकर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

(19) परिणाम स्वरूप आरोपी हल्कूराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के आरोप में दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(20) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(21) प्रकरण में जप्तशुदा जामुन की लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय में आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)